

न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्ता, बेरमो (तिनुघाट)।

छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1),(क)/(ख) के अंतर्गत
परमिशन वाद सं० 204 वर्ष 2024

आवेदक- यमुना महतो

क्रेता- जसवा देवी

ग्राम- हुरलुंग

पोस्ट- हुरलुंग

ग्राम- हुरलुंग

पोस्ट- हुरलुंग

थाना- चतरोचट्टी

जिला-बोकारो

थाना- चतरोचट्टी

जिला-बोकारो

आदेश की क्र०सं०
तारीख
01

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

02

आदेश पर की गई
कार्रवाई के बारे में
टिप्पणी तारीख सं०
03

आदेश

यह वाद आवेदक-यमुना महतो, पिता-स्व० बरन महतो, पता-ग्राम+पो०-हुरलुंग पो०-चतरोचट्टी, जिला-बोकारो के द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)/(ख) के अंतर्गत निम्नांकित जमीन, विवरणी निम्नवत:-

मौजा	थाना न०	खाता न०	प्लॉट सं०	कुल रकबा	बिक्री रकबा	भूमि दर्जा
हुरलुंग	03	50	2119	40 डी०	05 डी०	रैयती, टॉड-II वर्तमान स्वरूप परती

को वे आवश्यक कार्य हेतु मो 3,00,000/- (तीन लाख) रुपये में क्रेता-जसवा देवी, पति-तुलु महतो, पता-ग्राम+पो०-हुरलुंग पो०-चतरोचट्टी, जिला-बोकारो के साथ बिक्री करने की अनुमति हेतु समर्पित आवेदन के आधार पर आरम्भ किया गया तथा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1),(ख) के तहत आवेदन पत्र को पंजीकृत करते हुए आम सूचना निर्गत की गई, तथा इस कार्यालय के पत्रांक 1171/रा०, दिनांक 26.11.2024 के माध्यम से अंचल अधिकारी गोमिया से जॉच प्रतिवेदन की मांग की गई।

निर्धारित अवधि तक किसी के द्वारा प्रस्तावित भूमि की अनुमति प्रस्ताव के विरुद्ध कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। प्रस्तावित भूमि की बिक्री अनुमति के संबंध में अंचल अधिकारी गोमिया के पत्रांक-1631, दिनांक-08.08.2025 से वांछित जॉच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया है कि:-

01. क्रेता एवं बिक्रेता दोनों जाति के कुरमी-महतो है। जो अत्यंत पिछड़ी जाति वर्ग के अंतर्गत आते हैं। क्रेता एवं बिक्रेता दोनों एक ही थाना एवं जिला-बोकारो के निवासी हैं।
02. बिक्री की जाने वाली भूमि का सर्वे खतियान में खेदना के नाम से दर्ज हैं तथा सरकारी अभिलेख पंजी-II के पृष्ठ सं०-39, भौलुम सं०-IV पर बढन महतो के नाम से जमाबंदी कायम हैं एवं लगान रसीद वर्ष 2011-12 से 2024-25 तक निर्गत हैं। जमाबंदी कायम होने का आधार खतियान हैं।
03. खतियानी, रैयत से बिक्रेता का संबंध वंशावली के आधार पर पोता का है। बिक्री की जाने वाली भूमि बिक्रेता के हक व हिस्से के अंतर्गत आता है एवं बिक्रेता का दखल कब्जा में हैं।
04. प्रस्तावित भूमि भू-हदबन्दी, भूदान, सैरात, वन भूमि तथा अधिग्रहण क्षेत्र से बाहर हैं। उनके द्वारा बिक्रेता को प्रस्तावित भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा के साथ प्रतिवेदन को अग्रसारित किया गया हैं।

दोनों पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए। दोनों पक्षों का ब्यान दर्ज किया गया। बिक्रेता द्वारा अपने बयान में बतलाया गया हैं कि आवेदनांकित जमीन सर्वे खतियान में खेदना के नाम से दर्ज हैं तथा सरकारी अभिलेख पंजी-II के पृष्ठ सं०-39, भौलुम सं०-IV पर बढन महतो के नाम से जमाबंदी कायम हैं एवं लगान रसीद वर्ष 2011-12 से 2024-25 तक निर्गत हैं।

बिक्री वाली जमीन उसके हक हिस्से की हैं जिसे वे आवश्यकता वश बेच रहे हैं।

क्रेता का कहना है कि उन्होंने प्रस्तावित जमीन को देखा है। उक्त जमीन पर कोई विवाद नहीं है, तथा वर्तमान में आवेदक के शांति पूर्ण दखल कब्जे में हैं।

उभय पक्ष अपने पक्ष निम्नांकित कागजात/दस्तावेज प्रस्तुत करते हैं:-

01. बिक्रेता- खतियान की छायाप्रति हैं, लगान रसीद का छायाप्रति, आवासीय प्रमाण की छायाप्रति, जाति प्रमाण की छायाप्रति एवं स्वयं के नाम आधार कार्ड की छायाप्रति ।

02. क्रेता- आवासीय प्रमाण की छायाप्रति, जाति प्रमाण की छायाप्रति एवं स्वयं के नाम आधार कार्ड की छायाप्रति ।

दोनों पक्षों का ब्यान सुनने, उनके द्वारा समर्पित कागजातों एवं अंचल अधिकारी गोमिया से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि क्रेता एवं बिक्रेता दोनों जाति के कुरमी-महतो हैं। जो अत्यंत पिछड़ी जाति वर्ग के अंतर्गत आते हैं। क्रेता एवं बिक्रेता दोनों एक ही थाना एवं जिला के निवासी हैं। आवेदित भूमि बिक्रेता के हिस्से की जमीन है, जो खतियानी घरेलु बँटवारा के आधार पर हासिल हैं जिसे वे आवश्यकता वश बेचना चाहते हैं।

अतः आवेदक-यमुना महतो, पिता-स्व० बरन महतो, पता-ग्राम+पो०-हुरलुंग पो०-चतरोचट्टी, जिला-बोकारो को निम्नांकित भूमि:-

मौजा	खाता न०	प्लॉट सं०	कुल रकबा	बिक्री रकबा	उत्तर सीमा	द० सीमा	पूरब सीमा	पश्चिम सीमा
हुरलुंग 03	50	2119	40 डी०	05 डी०	जटाधारी लाल	केहारी महतो	हाल खरीदार बोधी महतो	रूपलाल महतो वगै०
कुल				05 डी० (पाँच डिसमिल जमीन मात्र)				

मो० 3,00,000/- (तीन लाख) रुपये या जिला अवर निबंधक बोकारो द्वारा निर्धारित नवीनतम भूमि मूल्यांकित राशि में जो अधिक हो, की दर से क्रेता-जसवा देवी, पति-तुलु महतो, पता-ग्राम+पो०-हुरलुंग पो०-चतरोचट्टी, जिला-बोकारो के साथ बिक्री करने की अनुमति प्रदान की जाती हैं।

इसके साथ ही इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। इस आदेश से उभय पक्षों को अवगत करावे।

लेखापित एवं संशोधित।

भूमि सुधार उपसमाहर्ता
बेरमो (तेनुघाट)।

भूमि सुधार उपसमाहर्ता
बेरमो (तेनुघाट)।